इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2021—आश्विन 2, शक 1943

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई—5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2021

क्र. 1400—मप्रविनिआ—2021.— विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (1) तथा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (यघ) तथा (यज्ञ) सहपठित धारा 61 के खण्ड (ज) तथा धार 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) सहपठित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रमांक जीएसआर 818 (ई) के माध्यम से अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 यथा संशोधित तथा इस निमित अन्य समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश

विद्युत नियामक आयोग, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 में द्वितीय संशोधन (एजी–39 (ii), वर्ष 2021)

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ** (1) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2015, (एजी–39 (ii), वर्ष 2021)"** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **विनियम 2 में संशोधन**

(1) विनियम 2 में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्न खण्ड (टक) जोड़ा जाए, अर्थात् :–

(टक) "सकल मापन" से अभिप्रेत है व्यवस्था जिसके अन्तर्गत पात्रता रखने वाले उपभोक्ता परिसर में स्थापित की गयी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित ऊर्जा जो ग्रिड से भी संयोजित होती है, को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को प्रदान किया जाता है ;

(2) विनियम 2 में, खण्ड (थ) के पश्चात् खण्ड (थक) जोड़ा जाए, अर्थात् :–

(थक) "उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करने के साथ–साथ आपूर्ति स्थल का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये ग्रिड में विद्युत भी प्रवाहित कर सकता है। यद्यपि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को उपभोक्ता के समान दर्जा मिलेगा और उसके पास सामान्य उपभोक्ता के समान अधिकार ही होंगे, उन्हें स्वयं या सेवा प्रदाता के माध्यम से छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रणाली स्थापना करने का अधिकार भी प्राप्त होगा ;

3. **विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—**

"3. विस्तार एवं लागू होना

(क) पात्र उपभोक्ता शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन 500 किलोवाट क्षमता तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकेगा। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता प्रयोज्य स्वीकृति भार अथवा संविदा मांग से अधिक न होगी ;

(ख) 500 किलोवाट से अधिक क्षमता हेतु अधिकतम एक मेगावाट तक सकल मापन की अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता प्रयोज्य स्वीकृत भार या उपभोक्ता की मांग संविदा मांग से अधिक न होगी ;

(ग) ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली बहुमंजिला भवनों के प्रकरण में उपभोक्ता परिसर अथवा सामान्य सुविधा क्षेत्र में अवस्थित होगी ;

(घ) ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली समय—समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के सुसंबद्ध प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सुरक्षित रूप से अन्तर्संयोजित और परिचालित होगी ;

(ङ) ऐसी प्रणाली हेतु अनुज्ञात वोल्टेज स्तर पर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अनुसार होगा ; और

(च) उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, को इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति जारी रखी जाएगी।"

4. **विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—**

"4. सामान्य सिद्धांत

"वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ता को जो उसके प्रदाय क्षेत्र में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने के बारे में आशय प्रकट करता हो, को शुद्ध अथवा सकल मापन व्यवस्था के उपबन्ध यथास्थिति प्रथम आएं प्रथम पाएं आधार पर बिना किसी पक्षपात के परिचालन प्रतिबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रस्तावित करेगा :

परन्तु यह कि उपभोक्ता इन विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित क्षमता की ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को संस्थापित करने की पात्रता रखता हो:

परन्तु यह और भी कि इस प्रयोजन हेतु अधोसंरचना विकास पर किये जाने वाले व्यय, यदि कोई हों, उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।''

5. **विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—**

''5. वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता

वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, शुद्ध अथवा सकल मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को संयोजित किये जाने के बारे में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर की क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा तथा यह जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा:

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी विशिष्ट ट्रांसफार्मर पर अनुज्ञेय संचयी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की शीर्ष क्षमता के 30 प्रतिशत से अधिक न होगी।''

6. **विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किसा जाए, अर्थात् :—**

''7. ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) से अन्तर्संयोजन वितरित उत्पादन संसाधनों हेतु तकनीकी मानकों के अनुरूप समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरण उत्पादन संसाधनों हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के अनुसार किया जाएगा।

7. विनियम 8 में, शीर्षक ''ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन'' को ''शुद्ध मापन हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन'' पढ़ा जाए।

8. विनियम 8(7) के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(7) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई शुद्ध ऊर्जा आकलन (नेट इनर्जी क्रेडिट) जो असमायोजित शेष के रूप में रह जाता है, का भुगतान यथास्थिति सौर/पवन बोली प्रक्रिया में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत–दर के बराबर, अगले वित्तीय वर्ष में 15 मई तक, उक्त वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को कर दिया

जाएगा। यदि उक्त वर्ष के दौरान कोई भी दर प्राप्त नहीं की जाती है तो अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा।"

9. विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"**8क. सकल मापन हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन**

(एक) प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में अन्तःक्षेपित (इन्जेक्ट) की गई विद्युत की मात्रा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा को पृथक–पृथक दर्शाएगा।

(दो) उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा बिलिंग अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, सौर/पवन बोली प्रक्रिया में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत–दर के बराबर उक्त वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। यदि उक्त वर्ष के दौरान कोई भी दर प्राप्त नहीं की जाती है तो अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा।

(तीन) बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा का भुगतान लागू खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश तथा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में स्वीकृत किये गये अन्य प्रभारों और शासन द्वारा अधिरोपित किये गये कर/शुल्क/उपकर हेतु बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।

(चार) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके (वितरण अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिये उपरोक्त विनियम आठ क(दो) के अनुसार देय राशि तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा विनियम 8क(तीन) के अनुसार देय राशि को सम्मिलित करते हुए तैयार करेगा :

परंतु यह कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) उत्पादोभोक्ता द्वारा देय हो तो उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता द्वारा इसका भुगतान देयक की नियत तिथि के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय हो तो इसे अगली बिलिंग अवधि के लिये आकलन (क्रेडिट) राशि देयक में अग्रेनयन (कैरी फारवर्ड) किया जाएगा। अग्रेनयन की गई राशि हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी आकलन (क्रेडिट) राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(पांच) वित्तीय वर्ष के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय कोई भी राशि जो वित्तीय वर्ष के अन्त में असमायोजित शेष बकाया रह जाए, का भुगतान उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को अगले वित्तीय वर्ष में अन्तिम रूप से 15 मई तक करना अनिवार्य होगा।

(छः) उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो जाये या फिर वह बकाया राशियों का व्यवस्थापन न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के रूप में देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(सात) बिलिंग में किसी विवाद की स्थिति में इसका निराकरण यथालागू मध्यप्रदेश (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।"

10. विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"9. नवीकरणीय क्रय आबन्धन :—

कोई उपभोक्ता उत्पादोभोक्ता जिसे आबंधित इकाई के रूप में परिभाषित नहीं किया गया हो, को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से यथास्थिति, शुद्ध या सकल मापन व्यवस्था के अधीन उपभोग की गई विद्युत की मात्रा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिये अर्हता होगी।"

11. विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"10. अन्य प्रभारों को लागू होना :–

शुद्ध या सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, भले ही वह स्वयं के स्वामित्व वाली या फ़िर तृतीय पक्षकार के स्वामित्व वाली हो तथा जिसे पात्र उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित किया गया हो, को बैंकिंग प्रभार, चक्रण प्रभार तथा प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार से छूट प्रदान की जाऐगी।"

12 विनियम 12(2) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :

"12(2क). सकल मापन व्यवस्था के अधीन स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के प्रकरण में, पात्र उत्पादोभोक्ता, अपनी स्वयं की लागत पर उक्त प्रणाली से उत्पादित ऊर्जा के मापन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन प्रणाली के अन्तर्संयोजन बिन्दु पर लागू केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों के अनुरूप अपने स्वयं के व्यय पर एक नवीकरणीय ऊर्जा मापयन्त्र (मीटर) स्थापित करेगा। मापयंत्र की स्थापना इस प्रकार की जाएगी ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि मापयंत्र वाचन के लिये उस तक आसानी से पहुंच सके। वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से उत्पादोभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का अभिलेखन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित किये गये मापयंत्र के माध्यम से किया जाएगा।"

13. विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"13. शास्ति या क्षतिपूर्ति

सकल या शुद्ध मापन प्रणाली के, यथास्थिति विफल हो जाने पर, शास्ति या क्षतिपूर्ति के प्रावधान समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के अनुसार लागू होंगे।"

14. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"14. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा लागू शुल्क

वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमरों) के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सुकर बनायेगा। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी –

(क) उत्पादोभोक्ताओं से उनके परिसर में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों या युक्तियों का संस्थापन अन्तर्संयोजन तथा मापन के लिये आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का सृजन करेगा तथा नियमित आधार पर इसे अद्यतन करेगा ;

(ख) अपनी वेबसाईट पर प्रमुख रूप से और अपने समस्त कार्यालयों में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थात् :—

(एक) छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना तथा उसे क्रियाशील करने हेतु विस्तृत मानकीकृत प्रक्रिया ;

(दो) छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिये आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर इसे क्रियाशील किये जाने तक उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये सम्पर्क का कोई एकल बिन्दु ;

(तीन) उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष संख्या जहां भरे गये आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जा सकता है ;

(चार) ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची ;

(पांच) आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले लागू प्रभार ;

(छः) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लाभ के लिये पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं की सूची ; और

(सात) उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथालागू वित्तीय प्रोत्साहन।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र (फार्म) को अपने वेबसाईट तथा अपने स्थानीय कार्यालयों पर हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

(घ) परिसर का उपभोक्ता अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु इस विनियम के साथ संलग्न निर्दिष्ट प्रपत्र में मय रू 1000 (अप्रत्यर्पणीय) के पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) शुल्क के संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

(ङ) यदि आवेदन पत्र को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् इसे वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा आवेदक के लिये पावती के साथ पंजीकरण संख्या का सृजन किया जाएगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी। यदि आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किया जाता है तो आवेदक के प्रस्तुतिकरण के बाद पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा। किसी आवेदन को पावती के साथ पंजीकरण संख्या के सृजन की तिथि को इसे प्राप्त समझा जाएगा। आवेदन के विभिन्न चरणों जैसे कि आवेदन की प्राप्ति, स्थल निरीक्षण, मापयंत्र संस्थापन और क्रियाशील होने की स्थिति के अनुश्रवण के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब–आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विशिष्ट पंजीकरण संख्या आधारित आवेदन खोजबीन (ट्रेकिंग) तन्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, 20 दिवस के भीतर, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण करेगा तथा आवेदक को यथास्थिति आवेदन को स्वीकृत/निरस्त करने बाबत, मय प्राक्कलित राशि जमा करने तथा उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले करार/अनुबन्ध की प्रति के साथ संसूचित करेगा।

(छ) राशि का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तथा करार/अनुबन्ध यथाविधि निष्पादित किये जाने पर यदि कोई विस्तार/आवर्धन कार्य सन्निहित न हो तथा अन्य प्रकरणों में तीस दिवस के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी करार/अनुबन्ध को अन्तिम रूप देगा, कार्य प्रारंभ करेगा तथा उपभोक्ता को सात दिवस के भीतर संयोजन (कनेक्टीविटी) प्रदान करेगा।

(ज) तकनीकी व्यवहार्यता से कार्य पूर्ण होने तक की समयावधि के दौरान यदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अपेक्षित क्षमता की स्थापना हेतु किसी वितरण अधोसंरचना स्तरोन्नयन जैसे सेवा लाईन में विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता का आवर्धन किये जाने की आवश्यकता हो तो इसका क्रियान्वयन यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता, द्वारा किया जायेगा।

(झ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के संस्थापन पश्चात् उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्थापना प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, स्थापना प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर संयोजन करार/अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने, मापयंत्र (मीटर) की स्थापना करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को सफलतापूर्वक क्रियाशील करने संबंधी

कार्रवाई करेगा। संविदा करार/अनुबन्ध और स्थापन प्रमाण–पत्र के प्ररूप को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ञ) उपभोक्ता के पास अपेक्षित मापयंत्र (मीटर) को स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा जिसका परीक्षण तथा संस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

(ट) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट उपरोक्त समय–सीमाओं का पालन किया जाएगा। विलम्ब की स्थिति में किसी यथोचित कारण के बिना अनुज्ञप्तिधारी विशिष्ट प्रकरणों में, विलम्ब का औचित्य दर्शाते हुए, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ठ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विलम्ब के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को चूक के प्रत्येक दिवस के लिये पांच सौ रूपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

(ड) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथाउपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

(ढ) किसी विवाद की स्थिति में, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।''

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, आयोग सचिव.